



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2016/पौष 18, 1937

No. 15]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2016/ PAUSA 18, 1937

शहरी विकास मंत्रालय

(मुद्रण निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 15(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार मुद्रणालय (समूह 'ग' एवं समूह 'घ' पद) (औद्योगिक पद) (भर्ती नियम, 2003, को, जहां तक उनका संबंध सेक्शन होल्डर (जिल्दसाजी)/ टाइम चौकर (जिल्दसाजी), जिल्दसाज, सहायक जिल्दसाज, रीडर, कॉपी होल्डर, प्रधान मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्दसाजी), मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्दसाजी), सहायक मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्दसाजी), बिजली मिस्त्री, वायरमैन, वेल्डर, बढई, ट्रक चालक (भारी वाहन), चालक (हल्का वाहन), डार्क रूम असिस्टेन्ट, ऑफसैट प्लेट मेकर, सहायक प्लेट मेकर (ऑफसैट), ऑफसैट मशीन परिचर, सहायक निरीक्षक (नियंत्रण), इलेक्ट्रॉनिक डुप्लिकेटिंग मशीन प्रचालक/रेजोग्राफर, सिल्क स्क्रीन आपरेटर, सहायक सिल्क स्क्रीन प्रचालक और श्रमिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय के अधीन भारत सरकार मुद्रणालयों तथा शाखाओं में समूह 'ग' अननुसचिवीय औद्योगिक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय, भारत सरकार मुद्रणालय तथा शाखाएं समूह 'ग' (औद्योगिक) पद भर्ती नियम, 2016 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** : ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन-बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** -- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन-बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि** -- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता** -- वह व्यक्ति,—
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,
- उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकारों के लिए लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. **शिथिल करने की शक्ति** -- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति** -- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए विनिश्चयों आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सेक्शन होल्डर (जिल्दसाजी)	छियानवें (96)* (2016) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (पर्यवेक्षी) अराजपत्रित अनुसूचिवीय	वेतन— बैंड-1 (5200-20200रु)+ ग्रेड वेतन 2800 रु0	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)	<b>आवश्यक :</b> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य। <b>वांछनीय :</b> किसी विधिक अस्तित्व वाले मुद्रणालय या संस्था में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव जिसके अन्तर्गत किसी मुद्रणालय के जिल्दसाजी अनुभाग में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव हो।
					<b>टिप्पण 1 :-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि	

				<p>वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> <p><b>टिप्पण 2 :-</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p><b>टिप्पण 1 :-</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p><b>टिप्पण 2 :-</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>
--	--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b></p> <p>वेतन बैंड - 1 (5200-20200 रु) + ग्रेड वेतन 2400 रु. में ऐसे जिल्दसाज जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न होने सकने पर वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु) + ग्रेड वेतन 1900 रु में ऐसे सहायक जिल्दसाज जिन्होंने उस श्रेणी में तेरह वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पणी-1:</b></p> <p>जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पणी-2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय/ भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष</li> <li>ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य</li> <li>ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य</li> </ol> <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष</li> <li>ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य</li> <li>ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासनिक) -सदस्य</li> </ol> <p><b>टिप्पण-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है,</p>	लागू नहीं होता।

			<p>पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति—</b> केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी – <b>(i)</b> जो वेतन बैंड – 1 (5200–20200 रु) + ग्रेड वेतन 2800 रु. में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या <b>(ii)</b> जिन्होंने वेतन बैंड – 1 (5200–20200 रु) + ग्रेड वेतन 2400 रु. में उस श्रेणी में पाँच नियमित सेवा की है। <b>टिप्पणी –1:</b> पेशक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति कि लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। <b>टिप्पणी –2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पणी –3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पणी –4:</b> प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।</p>	<p>तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित हैं।</p>	
--	--	--	---	--	--

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. जिल्दसाज	चार सौ इक्यासी (481)*  (2016) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अति कुशल) अराजपत्रित, अननुसचिवीय <b>टिप्पण</b> : वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1/1/2008 –आईसी, तारीख 28 जुलाई, 2009 के अनुसार	वेतन- बैंड- 1 (5200–20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)  <b>टिप्पण 1</b> :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त	<b>आवश्यक</b> : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी (ऑफसेट) में 3 वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य। <b>वांछनीय</b> : विधिक अस्तित्व वाले किसी मुद्रणालय या संस्था के जिल्दसाजी अनुभाग में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव।

		<p>अतिकुशल पद अवधारित किया जायेगा, जहां अति कुशल कर्मचारियों का काडर 50:50 के अनुपात में बराबर विभाजित है वहाँ अति कुशल कर्मकार श्रेणी II (वेतन बैंड-1+ ग्रेड वेतन 2400 रु.) और अतिकुशल कर्मकार श्रेणी ग्रेड-1 (वेतन बैंड-1 + ग्रेड वेतन 2800 रु.) के रूप में पुनः पदाभिहित किया गया है।</p>			<p>करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।</p> <p><b>टिप्पण 2 :-</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p><b>टिप्पण 1 :-</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2 :-</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>
--	--	--	--	--	---	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा। (समरूप श्रेणी में अधिशेष घोषित कर्मचारियों को वरीयता दी जाएगी जिन्हें पुनः अभिनियोजित/पुनः पदाभिहित किए जाने की आवश्यकता है।)	<p>वेतन बैंड - 1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1900 रु. में ऐसे सहायक जिल्दसाज जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पणी-1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय/ भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष</li> <li>ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य</li> <li>ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य</li> </ol> <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष</li> </ol>	लागू नहीं होता।

		<p><b>टिप्पणी-2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति-</b> केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी - (i) जो वेतन बैंड - 1 (5200-20200 रु) + ग्रेड वेतन 2400 रु. में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड - 1 (5200-20200 रु) + ग्रेड वेतन 1900 रु. में उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पणी -1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पणी -2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी -3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी -4:</b> प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।</p>	<p>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य</p> <p>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासनिक) -सदस्य</p> <p><b>टिप्पण-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित हैं।</p>	
--	--	--	---	--

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. सहायक जिल्द साज	एक हजार पच्चासी (1085)* (2016) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल) अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन- बैंड- 1 (5200-20200 रु) + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)  <b>टिप्पण 1 :-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।)  <b>टिप्पण 2 :-</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	<b>आवश्यक :</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (दसवीं पास) या समतुल्य और (ii) किसी सुसंगत व्यवसाय में शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अधीन शिक्षता सफलता-पूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र; या (iii) किसी जिल्दसाजी व्यवसाय में मुद्रण प्रौद्योगिकी में + 2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र।  <b>टिप्पण 1 :-</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। <b>टिप्पण 2 :-</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 16 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 5 प्रतिशत उस व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए वेतन बैंड-I (5200-20200	<b>प्रोन्नति</b> वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1800 रु. में ऐसे श्रमिक (औद्योगिक परिचर) जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए जिल्दसाजी अनुभाग में काम करने के लिए नियमित आधार पर नियुक्ति के	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय/ भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय	लागू नहीं होता।

	<p>रू0) + ग्रेड वेतन 1800 रू0 में उस मुद्रण में श्रेणी 'ग' अनौद्योगिक कर्मचारियों से प्रोन्नति द्वारा</p> <p>(iii) 79 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा।</p>	<p>पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पणी-1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पणी-2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।</p>	<p>प्रभारी</p> <p>—सदस्य</p> <p>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन)</p> <p>—सदस्य</p> <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <p>1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय</p> <p>—अध्यक्ष</p> <p>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी</p> <p>—सदस्य</p> <p>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन)</p> <p>—सदस्य</p> <p><b>टिप्पण-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित हैं।</p>
--	--	--	---

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. रीडर	एक सौ छियत्तर (176)* (2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अति कुशल) अराजपत्रित अननुसंचिवीय  <b>टिप्पण :</b> वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं0 1/1/2008—आईसी, तारीख 28 जुलाई, 2009 के अनुसार अतिकुशल पद अवधारित किया जायेगा, जहां अति कुशल कर्मचारियों का काडर 50:50 के अनुपात में बराबर विभाजित है वहाँ अति कुशल कर्मकार श्रेणी II (वेतन बैंड-1 + ग्रेड वेतन 2400 रू.) और अतिकुशल कर्मकार	वेतन— बैंड— 1 (5200—20200 रू.) + ग्रेड वेतन 2400 रू.	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)  <b>टिप्पण 1 :-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए	<b>आवश्यक :</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य; (ii) किसी विधिक अस्तित्व वाले मुद्रणालय में प्रूफ रीडिंग का ज्ञान; (iii) अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा तथा मुद्रणालय में प्रयोग की जा रही एक क्षेत्रीय भाषा में प्रवीणता; और (iv) कानूनी इकाई वाले ऑफसेट मुद्रणालय के रीडिंग अनुभाग में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। <b>टिप्पण 1 :-</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। <b>टिप्पण 2 :-</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें



		श्रेणी ग्रेड-1 (वेतन बैंड-1 + ग्रेड वेतन 2800 रु0) के रूप में पुनः पदाभिहित किया गया है।			विहित की गई हैं।  <b>टिप्पण 2 :-</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
--	--	--	--	--	---	--

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा; (ii) 17 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा; (iii) 16 प्रतिशत मुद्रण निदेशालय द्वारा संचालित की जाने वाली विभागीय प्रतियोगी रीडरशिप परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा।	<b>प्रोन्नति</b> (i) वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु0)+ ग्रेड वेतन 1900 रु0 में ऐसे कॉपी होल्डर जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है। (ii) उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा करने वाला कॉपी होल्डर विभागीय प्रतियोगी रीडरशिप परीक्षा के लिए पात्र होगा। <b>टिप्पणी-1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में भी विचार किया जायेगा। परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिचीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली है। <b>टिप्पणी-2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय/ भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य  समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी-सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य  <b>टिप्पण-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी	लागू नहीं होता।

			<p>वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तार तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति—</b> केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी —</p> <p><b>(i)</b> जो वेतन बैंड - 1 (5200—20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु. में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं।</p> <p><b>टिप्पणी -1:</b> पोशक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति कि लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पणी -2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी -3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छपपन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी -4:</b> प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहाँ यह काम के उस पद ( उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।</p>	<p>अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित हैं।</p>	
--	--	--	--	--	--

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. कॉपी होल्डर	एक सौ छियत्तर (176)* (2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल), अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन— बैंड— 1 (5200—20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)	<b>आवश्यक :</b> (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य; (2) अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा तथा मुद्रणालय में प्रयोग की जा रही एक क्षेत्रीय भाषा में प्रवीणता; और (iii) किसी विधिक अस्तित्व वाले किसी मुद्रणालय में प्रूफ रीडर के रूप में एक वर्ष का अनुभव। <b>टिप्पण 1 :-</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। <b>टिप्पण 2 :-</b> अनुभव संबंधी अर्हता

					हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।	(अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
--	--	--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य <b>टिप्पण-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. प्रधान मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्द-साजी)	तेरह (13)* (2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (पर्यवेक्षक) अराजपत्रित अनुसुचिवीय	वेतन- बैंड- 1 (5200-20200 रु०) + ग्रेड वेतन 2800 रु०.	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) <b>टिप्पण 1 :-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड,	<b>आवश्यक:</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से यांत्रिक या विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा; (ii) किसी विधिक अस्तित्व वाली संस्था / मुद्रणालय में मुद्रण तथा उससे सहबद्ध उपस्करों के रख-रखाव/मरम्मत करने का तीन वर्ष का अनुभव। <b>वांछनीय :</b> (i) मुद्रण तथा जिल्दसाजी उपस्करों में प्रयोग होने वाले विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक संघटकों का ज्ञान।

					<p>त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।</p> <p><b>टिप्पण 2 :-</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p><b>टिप्पण 1 :-</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2 :-</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>
--	--	--	--	--	---	--

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति:-</b> वेतन बैंड - 1 (5200-20200 रु) + ग्रेड वेतन 2400 रु. में ऐसे मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्दसाज) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पणी-1:-</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पणी-2:-</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:-</b> केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी -</p> <p>(i) जो वेतन बैंड - 1 (5200-20200 रु) + ग्रेड वेतन 2400 रु. में नियमित आधार पर सदृश</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय/ भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष</li> <li>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य</li> <li>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य</li> </ol> <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष</li> <li>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य</li> <li>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य</li> </ol> <p><b>टिप्पण-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत</p>	लागू नहीं होता।

		<p>पदधारण किए हुए हैं ; या</p> <p><b>(ii)</b> वेतन बैंड - 1 (5200-20200 रु) + ग्रेड वेतन 2400 रु. में ऐसे मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्दसाजी) जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पणी -1:</b> पोशक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पणी -2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी -3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी -4:</b> प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद ( उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।</p>	<p>का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।</p>
--	--	---	---

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्दसाजी)	तिरसठ (63)* (2016) *(कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अति कुशल) अराजपत्रित, अननुसचिवीय <b>टिप्पण</b> : वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं0 1/1/2008 -आईसी, तारीख 28 जुलाई, 2009 के अनुसार अतिकुशल पद अवधारित किया जायेगा, जहाँ अति कुशल कर्मचारियों का काडर 50:50 के अनुपात में बराबर विभाजित है वहाँ अति	वेतन- बैंड- 1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) <b>टिप्पण 1 :-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी	<b>आवश्यक :</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से यांत्रिक या विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य; (ii) किसी विधिक अस्तित्व वाली संस्था या मुद्रणालय में मुद्रण तथा उससे सहबद्ध उपकरणों के रख-रखाव या मरम्मत करने का एक वर्ष का अनुभव। <b>टिप्पण 1 :-</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। <b>टिप्पण 2 :-</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम

		कुशल कर्मकार श्रेणी II (वेतन बैंड-1+ ग्रेड वेतन 2400 रु०) और अतिकुशल कर्मकार श्रेणी ग्रेड-1 (वेतन बैंड-1+ ग्रेड वेन 2800 रु.) के रूप में पुनः पदाभिहित किया गया है।			उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं। <b>टिप्पण 2 :-</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
--	--	---	--	--	---	--

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा।	<b>प्रोन्नति:</b> वेतन बैंड - 1 (5200-20200 रु) + ग्रेड वेतन 2400 रु. में ऐसे जिन्दसाज जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न होने सकने पर वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1900 रु. में ऐसे सहायक जिल्दसाज जिन्होंने उस श्रेणी में तेरह वर्ष नियमित सेवा की है। <b>टिप्पणी-1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। <b>टिप्पणी-2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय/ भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासनिक) -सदस्य <b>टिप्पण-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण	लागू नहीं होता

			<p><b>प्रतिनियुक्ति-</b> केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी - <b>(i)</b> जो वेतन बैंड - 1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु. में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या <b>(ii)</b> जिन्होंने वेतन बैंड - 1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु. में उस श्रेणी में पाँच नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पणी -1:</b> पोशक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पणी -2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी -3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी -4:</b> प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।</p>	निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।
--	--	--	--	--

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. सहायक मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्दसाजी)	तिरसठ (63)* (2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल), अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन- बैंड- 1 (5200-20200 रु.)+ ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)  <b>टिप्पण 1 :-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैण्ड,	<b>आवश्यक :</b>  (i) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मैकेनिक में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र तथा साथ में किसी विधिक अस्तित्व वाले मुद्रणालय में ऑफसेट मुद्रण के व्यवसाय में एक वर्ष का अनुभव।  <b>वांछनीय :</b> किसी विधिक अस्तित्व वाली संस्था या मुद्रणालय में मुद्रण तथा उससे सहबद्ध उपकरणों के रख-रखाव या मरम्मत करने का एक वर्ष का अनुभव।  <b>टिप्पण 1 :-</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के

					सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।	लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
					<b>टिप्पण 2 :-</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	<b>टिप्पण 2 :-</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा।	<b>प्रोन्नति</b> वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.)+ ग्रेड वेतन 1800 रु. में ऐसे श्रमिक (औद्योगिक परिचर) (समूह 'ग') जिन्हें मुद्रण मशीनों के अनुरक्षण का तीन वर्ष का नियमित अनुभव हो, यांत्रिक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र धारी हो तथा जो व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् भारत सरकार मुद्रणालय में कार्य कर रहा हो। <b>टिप्पणी-1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। <b>टिप्पणी-2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय/ भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी —सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य  समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी —सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य  <b>टिप्पण-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी	लागू नहीं होता।



			आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।	पर स्थित है।	
--	--	--	---	--------------	--

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. बिजली मिस्त्री	पच्चीस (25)* (2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अति कुशल) अराजपत्रित, अननुसूचित <b>टिप्पण</b> : वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं0 1/1/2008 —आईसी, तारीख 28 जुलाई, 2009 के अनुसार अतिकुशल पद अवधारित किया जायेगा, जहां अति कुशल कर्मचारियों का काडर 50:50 के अनुपात में बराबर विभाजित है वहाँ अति कुशल कर्मकार श्रेणी II (वेतन बैंड-1 + ग्रेड वेतन 2400 रु.) और अतिकुशल कर्मकार श्रेणी ग्रेड-1 (वेतन बैंड-1+ ग्रेड वेतन 2800 रु.) के रूप में पुनः पदाभिहित किया गया है।	वेतन- बैंड- 1 (5200-20200 रु.)+ ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)  <b>टिप्पण 1</b> :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।  <b>टिप्पण 2</b> :- रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	<b>आवश्यक :</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से विद्युत या इलेक्ट्रॉनिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य; या (ii) भूमिगत केबल प्रणाली सहित विभिन्न प्रकार के उच्च दाब तथा निम्न दाब वाले दोना विद्युत प्रतिष्ठान को चलाने या उनके अनुरक्षण के पांच वर्ष के अनुभव के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या विद्युत सक्षमता प्रमाण पत्र।  <b>टिप्पण 1</b> :- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।  <b>टिप्पण 2</b> :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होता।	(i) 33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (ii) 67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर पदोन्नति द्वारा।	<b>प्रोन्नति</b> (i) वेतन बैंड-1 ( 5200-20200 रु.)+ ग्रेड वेतन 1900 रु. में ऐसे वायरमैन जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। <b>टिप्पणी-1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। <b>टिप्पणी-2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी। <b>प्रतिनियुक्ति:-</b> केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी - (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुये हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड - 1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1900 रु0 में वायरमैन की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। <b>टिप्पणी -1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। <b>टिप्पणी -2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पणी -3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय/ भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य <b>टिप्पण-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	लागू नहीं होता

			<p>अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी -4:</b> प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।</p>		
--	--	--	---	--	--

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. वायर मैन	पच्चीस (25)* (2016) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल), अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन- बैंड- 1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)	<b>आवश्यक :</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (दसवीं उत्तीर्ण) या समतुल्य; तथा विद्युत व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र सहित सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक में तीन वर्ष का डिप्लोमा सहित सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। <b>टिप्पण 1 :-</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। <b>टिप्पण 2 :-</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
					<p><b>टिप्पण 1 :-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।</p> <p><b>टिप्पण 2 :-</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	दो वर्ष	शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी —सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य <b>टिप्पण—</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित हैं।	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. वेल्डर	ग्यारह (11)* (2016) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल), अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन— बैंड— 1 (5200—20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) <b>टिप्पण 1 :-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड,	<b>आवश्यक :</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मेट्रिकुलेशन (दसवीं पास) या समतुल्य; (ii) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से वेल्डर व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र। (iii) विधि के अनुसार स्थापित किसी उद्योग या कार्यशाला में वेल्डर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो। <b>टिप्पण 1 :-</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा

					हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।  <b>टिप्पण 2 :-</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	सकती है। <b>टिप्पण 2 :-</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
--	--	--	--	--	---	--

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिचीक्षा अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :  1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी —सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य  <b>टिप्पण-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. बढई	ग्यारह (11)* (2016) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल), अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन- बैंड- 1 (5200-20200 रू0)+ ग्रेड वेतन 1900 रू0	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)	<b>आवश्यक :</b>  (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मेट्रिकुलेशन (दसवीं पास) या समतुल्य; (ii) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से

	सकता है)				<p><b>टिप्पण 1 :-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।</p> <p><b>टिप्पण 2 :-</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p>बढ़ईगिरी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र।</p> <p>(iii) विधि के अनुसार स्थापित किसी उद्योग या दुकान में बढ़ई के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 1 :-</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2 :-</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>
--	----------	--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिरीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय/भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी —सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य <b>टिप्पण—</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. ड्राइवर (भारी यान)	छ (06)* (2016) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल), अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन- बैंड- 1 (5200-20200 रू0)+ ग्रेड वेतन 1900 रू0	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)  <b>टिप्पण 1 :-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।  <b>टिप्पण 2 :-</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	<b>आवश्यक :</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) भारी यान चलाने का पांच वर्ष का अनुभव; (iii) भारी मोटर यान चलाने के लिए अपेक्षित विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो। <b>वांछनीय :</b> (i) ऑटोमोबाइल मरम्मत का ज्ञान। <b>टिप्पण 1 :-</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। <b>टिप्पण 2 :-</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 83 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा; (ii) 17 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<b>प्रोन्नति</b> वेतन बैंड-1 (रू0 5200-20200)+ ग्रेड वेतन 1900 रू0 में ऐसे ड्राइवर जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास भारी यान के लिए चालन अनुज्ञप्ति है। <b>टिप्पणी-1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब	समूह 'ग' भर्ती पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य	लागू नहीं होता।

		<p>जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पणी-2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति-</b> केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी -</p> <p>(i) जो वेतन बैंड - 1 (5200-20200 रु) + ग्रेड वेतन 1900 रु0 में नियमित रूप से ड्राइवर का पद धारण किए हुए हैं।;</p> <p>(ii) वेतन बैंड - 1 (5200-20200 रु) + ग्रेड वेतन 1900 रु0 में ऐसे ड्राइवर (हल्के यान) जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास भारी यान के लिए अनुज्ञप्ति है।</p> <p><b>टिप्पणी -1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पणी -2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी -3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी -4:</b> प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष</li> <li>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी —सदस्य</li> <li>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य</li> </ol> <p><b>टिप्पणी-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।</p>
--	--	--	--



			अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।		
--	--	--	---	--	--

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. ड्राइवर (हल्का यान)	पन्द्रह (15)* (2016) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल), अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन- बैंड- 1 (5200-20200 ₹0) + ग्रेड वेतन 1900 ₹0	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)  <b>टिप्पण 1 :-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अप्पदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।)  <b>टिप्पण 2 :-</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	<b>आवश्यक :</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; (ii) हल्का मोटर यान चलाने का पांच वर्ष का अनुभव; (iii) हल्का मोटर यान चलाने के लिए अपेक्षित विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो। <b>वांछनीय :</b> (i) ऑटोमोबाइल मरम्मत का ज्ञान। (ii) यातायात नियमों का ज्ञान। <b>टिप्पण 1 :-</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। <b>टिप्पण 2 :-</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा; (ii) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा, दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<b>प्रोन्नति</b> वेतन बैंड-1 (रु. 5200-20200) + ग्रेड पे 1800 रु. में ऐसे क्लिन्नर झाइवर जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास हल्के या भारी यान के लिए विधिमाम्य चालन अनुज्ञप्ति है। <b>टिप्पणी-1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। <b>टिप्पणी-2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी। <b>प्रतिनियुक्ति :-</b> केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी— (i) जो व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए वेतन बैंड - 1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1900 रु. में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास हल्के या भारी यान मोटर यान के लिए अनुज्ञप्ति है। <b>टिप्पणी -1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। <b>टिप्पणी -2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पणी -3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पणी -4:</b> प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर	समूह 'ग' भर्ती पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय/ भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी —सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी —सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य <b>टिप्पणी-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय से किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	लागू नहीं होता।

			आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।		
--	--	--	--	--	--

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15. डार्क रूम सहायक	इकतीस (31)* (2016) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अति कुशल) अराजपत्रित, अननुसचिवीय टिप्पण : वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/1/2008 -आईसी, तारीख 28 जुलाई, 2009 के अनुसार अतिकुशल पद अवधारित किया जायेगा, जहाँ अति कुशल कर्मचारियों का काडर 50:50 के अनुपात में बराबर विभाजित है वहाँ अति कुशल कर्मकार श्रेणी II (वेतन बैंड-1+ ग्रेड वेतन 2400 रु.) और अतिकुशल कर्मकार श्रेणी ग्रेड-1 (वेतन बैंड-1 + ग्रेड वेतन 2800 रु.) के रूप में पुनः पदाभिहित किया गया है।	वेतन- बैंड- 1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)  <b>टिप्पण 1 :-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।) <b>टिप्पण 2 :-</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	<b>आवश्यक :</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य तथा प्रोसेस कैमरा के प्रचालन का एक वर्ष का अनुभव; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य तथा शिक्षु अधिनियम 1961 (1961 का 52) के अधीन प्रोसेस कैमरा में प्रशिक्षुता सफलता पूर्वक पूरा करने का प्रमाणपत्र के साथ में प्रोसेस कैमरा के प्रचालन का तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। टिप्पण : रसायन के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। <b>टिप्पण 1 :-</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। <b>टिप्पण 2 :-</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिचीक्षा अवधि, यदि कोई है	की यदि	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	शतप्रतिशत भर्ती द्वारा।	सीधी	लागू नहीं होता	समूह 'ग' भर्ती पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : (i) महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष (ii) ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी —सदस्य (iii) ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य <b>टिप्पण—</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16. प्लेट मेकर (ऑफ-सेट)	उनहत्तर (69)* (2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अति कुशल) अराजपत्रित, अननुसचिवीय टिप्पण : वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/1/2008 - आईसी, तारीख 28 जुलाई, 2009 के अनुसार अतिकुशल पद अवधारित किया जायेगा, जहां अति कुशल कर्मचारियों का काडर 50:50 के अनुपात में बराबर विभाजित है वहाँ अति कुशल कर्मकार श्रेणी II (वेतन बैंड-1 + ग्रेड वेतन 2400 रु.) और अतिकुशल कर्मकार श्रेणी ग्रेड-1 (वेतन बैंड-1 + ग्रेड वेतन 2800 रु.) के रूप में	वेतन- बैंड- 1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) <b>टिप्पण 1 :-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं। <b>टिप्पण 2 :-</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से	<b>आवश्यक :</b> (i) मुद्रण प्रौद्योगिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा सहित दो वर्ष का अनुभव या प्लेट मेकर (ऑफ-सेट) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र या समतुल्य सहित उस व्यवसाय में पांच वर्ष का अनुभव ; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण या समतुल्य; और (iii) शिक्षा अधिनियम 1961 (1961 का 52) के अधीन प्लेट मेकिंग में शिक्षता सफलता पूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र सहित किसी प्रतिष्ठित मुद्रणालय में प्लेट मेकिंग का तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। <b>टिप्पण :-</b> ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी जिन्होंने 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण किया है जिसमें रसायन विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो। <b>टिप्पण 1 :-</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के

		पुनः पदाभिहित किया गया है।		की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। <b>टिप्पण 2 :-</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
--	--	----------------------------	--	---	--

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) 15 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (ii) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा।	<b>प्रोन्नति</b> (i) वेतन बैंड-1 (5200-20200 ₹0)+ ग्रेड पे 1900 ₹0 में ऐसे सहायक प्लेट मेकर जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तेरह वर्ष सेवा की है। <b>टिप्पणी-1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। <b>टिप्पणी-2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन)-सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय/भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन)-सदस्य	लागू नहीं होता।

			<p><b>प्रतिनियुक्ति-</b> केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी - (i) जो वेतन बैंड - 1 (5200-20200 रु) + ग्रेड वेतन 2400 रु0 में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड - 1 (5200-20200 रु) + ग्रेड वेतन 1900 रु0 में ऐसे प्लेट मेकर जिन्होंने व्यावसायिक परिक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए उस श्रेणी में तेरह वर्ष नियमित सेवा की है। <b>टिप्पणी -1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। <b>टिप्पणी -2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पणी -3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पणी -4:</b> प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।</p>	<p><b>टिप्पण-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।</p>	
--	--	--	---	---	--

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17. सहायक प्लेट मेकर	बत्तीस (32)* (2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल), अराजपत्रित अननुसचिवय	वेतन- बैंड- 1 (5200-20200 रु.)+ ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) <b>टिप्पण 1 :-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,	<b>आवश्यकता :</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मेट्रीकुलेशन (10वीं कक्षा उत्तीर्ण) या समतुल्य; और (ii) शिक्षु अधिनियम 1961 (1961 का 52) के अधीन प्लेट मेकिंग में शिक्षुता सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाणपत्र सहित प्लेट मेकिंग का तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव; या (iii) प्लेट मेकिंग व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र और प्लेट मेकिंग अनुभाग में विभिन्न प्रकार की प्लेट तैयार करने का पांच वर्ष का अनुभव।

				मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं। <b>टिप्पण 2 :-</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	<b>वांछनीय :</b> मुद्रण प्रौद्योगिकी (ऑफ-सेट) में डिप्लोमा। <b>टिप्पण 1 :-</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। <b>टिप्पण 2 :-</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
--	--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) 16 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा; (ii) 84 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<b>प्रोन्नति</b> (i) वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.)+ ग्रेड वेतन 1900 रु. में ऐसे परिचर जिनके पास व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए प्लैट मेकिंग में तीन वर्ष का व्यावसायिक अनुभव है। <b>टिप्पणी-1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिचीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। <b>टिप्पणी-2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय / भारत	लागू नहीं होता।

			<p>की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति—</b> केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी — (i) जो वेतन बैंड - 1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1900 रु. में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं ; या (ii) वेतन बैंड - 1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1900 रु. में ऐसे परिचर (ऑफ-सेट) जिनके पास व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए प्लैट मेकिंग में तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव है।</p> <p><b>टिप्पणी -1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने कि पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पणी -2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी -3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी -4:</b> प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद ( उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।</p>	<p>सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष</p> <p>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी —सदस्य</p> <p>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य</p> <p><b>टिप्पण—</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।</p>
--	--	--	--	--

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18. मशीन परिचर (ऑफ-सेट)	तीन सौ अड़सठ (368)* (2016) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल), अराजपत्रित, अननुसचिवीय  टिप्पण : वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं0 1/1/2008 —आईसी, तारीख 28 जुलाई, 2009 के अनुसार अतिकुशल पद अवधारित किया जायेगा, जहां अति कुशल कर्मचारियों का काडर 50:50 के अनुपात में बराबर विभाजित है वहाँ अति कुशल कर्मकार श्रेणी II (वेतन बैंड-1+ ग्रेड वेतन 2400	वेतन— बैंड- 1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) <b>टिप्पण 1 :-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं। <b>टिप्पण 2 :-</b> रोजगार	<b>आवश्यक :</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य; (ii) शिक्ष अधिनियम 1961 (1961 का 52) के अधीन ऑफ-सेट मशीन में शिक्षुता सफलता पूर्वक पूरा करने का प्रमाणपत्र; (iii) एकल तथा बहुरंगी मुद्रण कार्य करने के लिए ऑफ-सेट मशीन के प्रचालन का एक वर्ष का अनुभव। <b>टिप्पण 1 :-</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। <b>टिप्पण 2 :-</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन



		रू.) और अतिकुशल कर्मकार श्रेणी ग्रेड-1 (वेतन बैंड-1+ ग्रेड वेतन 2800 रू.) के रूप में पुनः पदाभिहित किया गया है।			कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
--	--	---	--	--	--	---

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 46 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 54 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा।	<b>प्रोन्नति</b> वेतन बैंड-1 (5200-20200 रू.)+ ग्रेड वेतन 1800 रू. में ऐसे श्रमिक (औद्योगिक परिचर) जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है। <b>टिप्पणी-1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। <b>टिप्पणी-2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी। <b>प्रतिनियुक्ति-</b> केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी - (i) जो वेतन बैंड - 1 (5200-20200रू.) + ग्रेड वेतन 1900 रू. में नियमित आधार पर	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य  समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य  <b>टिप्पण-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में	लागू नहीं होता।

			<p>सदृश पदधारण किए हुए हैं ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए वेतन बैंड - 1 + ग्रेड वेतन 1800 रु0 श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पणी -1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने कि पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पणी -2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी -3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी -4:</b> प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।</p>	<p>शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।</p>
--	--	--	---	---

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19. सहायक निरीक्षक (नियंत्रण)	आठ (8)* (2016) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड- 1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवेक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	शत- प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<b>प्रतिनियुक्ति :-</b> केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी- (i) जो वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) +	समूह 'ग' चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय /	लागू नहीं होता।

			<p>ग्रेड वेतन 2800 रु. में सदृश पदधारण किए हुए है; या</p> <p>(ii) जो वेतन बैंड-1 (5200-20200रु) + ग्रेड वेतन 2400 रु में सेक्शन होल्डर, रीडर, ऑफसेट मशीन सहायक और ऑफसेट प्लेट मेकर के रूप में उस मुद्रणालय में सदृश पदधारण किए हुए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पणी -1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने कि पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पणी -2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी -3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी -4:</b> प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद ( उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।</p>	<p>भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष</p> <p>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य</p> <p>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य</p> <p><b>टिप्पण-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।</p>
--	--	--	---	---

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20. रीजोग्राफ प्रचालक	छत्तीस (36)* (2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अति कुशल) अराजपत्रित अननुसचिवीय  टिप्पण : वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/1/2008 -आईसी, तारीख 28 जुलाई, 2009 के अनुसार अतिकुशल पद अवधारित किया	वेतन- बैंड- 1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)  <b>टिप्पण 1 :-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह	<b>आवश्यक :</b>  (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) लिथो ऑफ-सेट मशीन माइंडर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र सहित लिथो ऑफ-सेट मशीन प्रचालन का तीन वर्ष का अनुभव; (iii) लिथो ऑफ-सेट मशीन माइंडर में प्रशिक्षुता सहित रीजोग्राफ/एकल रंग/ बहुरंग ऑफ-सेट मशीन के

		जायेगा, जहाँ अति कुशल कर्मचारियों का काडर 50:50 के अनुपात में बराबर विभाजित है वहाँ अति कुशल कर्मकार श्रेणी II (वेतन बैंड-1+ ग्रेड वेतन 2400 रु.) और अतिकुशल कर्मकार श्रेणी ग्रेड-1 (वेतन बैंड-1+ ग्रेड वेतन 2800 रु.) के रूप में पुनः पदाभिहित किया गया है।			अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।	प्रचालन का दो वर्ष का अनुभव। <b>वांछनीय :</b> (i) किसी सरकारी संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा। (ii) ऑफ-सेट मशीन पर एकल रंग या बहुरंग के प्रचालन का तीन वर्ष का अनुभव। <b>टिप्पण 1 :-</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। <b>टिप्पण 2 :-</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
					<b>टिप्पण 2 :-</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<b>प्रोन्नति</b> (i) वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु0)+ ग्रेड वेतन 1900 रु0 में ऐसे मशीन परिचर (ऑफसेट) जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। <b>टिप्पणी-1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में भी विचार किया जायेगा। परन्तु	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय/ भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य	लागू नहीं होता।

		<p>यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हा और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले हो पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली है।</p> <p><b>टिप्पणी-2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनराक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :-</b> केन्द्रीय सरकार के ऐसे का अधिकारी :</p> <p>(i) जो वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.)+ ग्रेड वेतन 2400 रु. में सदृश पदधारण किए हुए है; या</p> <p>(ii) वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.)+ ग्रेड वेतन 1900 रु. में ऐसे मशीन परिचर जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पणी -1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने कि पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पणी -2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठिक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणन्या तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी -3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की आंतिम तारीख का छपपन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी -4:</b> प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विक्रय कर दिया गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय-अध्यक्ष</li> <li>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी-सदस्य</li> <li>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन)-सदस्य</li> </ol> <p><b>टिप्पणी-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।</p>	
--	--	---	---	--

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21. सिल्क स्क्रीन प्रचालक	आठ (8)* (2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अति कुशल) अराजपत्रित अननुसन्धिवीय <b>टिप्पण:</b> वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1/1/2008 —आईसी, तारीख 28 जुलाई, 2009 के अनुसार अतिकुशल पद अवधारित किया जायेगा, जहां अति कुशल कर्मचारियों का काडर 50:50 के अनुपात में बराबर विभाजित है वहाँ अति कुशल कर्मकार श्रेणी II (वेतन बैंड-1 + ग्रेड वेतन 2400 रु.) और अतिकुशल कर्मकार श्रेणी ग्रेड-1 (वेतन बैंड-1 + ग्रेड वेतन 2800 रु.) के रूप में पुनः पदाभिहित किया गया है।	वेतन- बैंड- 1 (5200-20200 रु०) + ग्रेड वेतन 2400 रु०	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)  <b>टिप्पण 1 :-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अप्पमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।  <b>टिप्पण 2 :-</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	<b>आवश्यक :</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य और जिनके पास एकल तथा बहुरंगी सिल्क स्क्रीन मुद्रण कार्य करते हुए सिल्क स्क्रीन मुद्रण प्रक्रिया का पांच वर्ष का अनुभव। (ii) शिक्षु अधिनियम 1961 (1961 का 52) के अधीन शिक्षुता के सफलता पूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र और स्क्रीन प्रिंटिंग कार्य में दो वर्ष का अनुभव। <b>टिप्पण 1 :-</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। <b>टिप्पण 2 :-</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 62 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा; (ii) 38 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	<b>प्रोन्नति</b> (i) वेतन बैंड-1 ( 5200-20200 रु.)+ ग्रेड वेतन 1900 रु. में ऐसे सहायक स्क्रीन आपरेटर जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है। <b>टिप्पणी-1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में,	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय/ भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप	लागू नहीं होता।

	<p>जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।</p>	<p>जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा। परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले हो पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली है।</p> <p><b>टिप्पणी-2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रिय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनराक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तार तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :-</b> केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :</p> <p>(i) जो वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.)+ ग्रेड वेतन 2400 रु. में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किये हुए हैं; या</p> <p>(ii) वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.)+ ग्रेड वेतन 1900 रु. में ऐसे सहायक स्क्रीन आपरेटर जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के आठ वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पणी -1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पणी -2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रिय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी -3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की आतिम तारीख का छपपन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी -4:</b> प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।</p>	<p>प्रबंधक/सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य</p> <p>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य</p> <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <p>1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष</p> <p>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य</p> <p>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य</p> <p><b>टिप्पण-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।</p>
--	---	--	--

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22. सहायक स्कीन प्रचालक	आठ (8)* (2016)*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल), अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन— बैंड— 1 (5200—20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)  <b>टिप्पण 1 :-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।)  <b>टिप्पण 2 :-</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	<b>आवश्यक:</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या समतुल्य से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और (ii) जिनके पास एकल तथा बहुरंग सिल्क स्कीन प्रिंटिंग कार्य करते हुए सिल्क स्कीन प्रिंटिंग प्रक्रिया के प्रचालन का तीन वर्ष का अनुभव; या (iii) शिक्षा अधिनियम 1961 (1961 का 52) के अधीन शिक्षता के सफलता पूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र सहित सिल्क स्कीन प्रिंटिंग का एक वर्ष का अनुभव। <b>टिप्पण 1 :-</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। <b>टिप्पण 2 :-</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	शत—प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' भर्ती पुष्टि समिति जिनमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष	लागू नहीं होता।



				<p>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य</p> <p>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य</p> <p><b>टिप्पण-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।</p>
--	--	--	--	---

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23. श्रमिक (औद्योगिक परिचर)	पांच सौ बारह (512)* (2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अकुशल), अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन- बैंड- 1 (5200-20200रु.) + ग्रेड वेतन 1800 रु0	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) <b>टिप्पण 1 :-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।) <b>टिप्पण 2 :-</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	<p><b>आवश्यक :</b></p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य;</p> <p>(ii) विधिक अस्तित्व वाले किसी मुद्रणालय में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव तथा भारी लदान और उत्तराई एवं अन्य मुद्रणालय से संबंधित कार्य के प्रचालन से परिचित हो।</p> <p><b>वांछनीय :</b></p> <p>(i) शिक्षु अधिनियम 1961 (1961 का 52) के अधीन शिक्षुता के सफलता पूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र।</p> <p>(ii) मैकेनिक व्यवसाय में अधिमान्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र।</p> <p><b>टिप्पण 1 :-</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2 :-</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिचोखा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' भर्ती पुष्टि समिति जिनमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय/ भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय-अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी-सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन)-सदस्य <b>टिप्पण-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित हैं।	लागू नहीं होता

[फा. सं. 22/5/2011/ए-1]

कैलाश चौधरी, अवर अचिव (पी.एस.पी.-1)

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DIRECTORATE OF PRINTING)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2016

**G.S.R. 15(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Government of India Presses (Group 'C' and Group 'D' Industrial posts) Recruitment Rules, 2003, insofar as they relate to the posts of Section Holder (Bindery/Time Checker (Bindery), Binder, Assistant Binder, Reader, Copy Holder, Head Mechanic (Printing & Binding), Mechanic (Printing & Binding), Assistant Mechanic (Printing & Binding), Electrician, Wireman, Welder, Carpenter, Truck Driver (Heavy Vehicle), Driver (Light Vehicle), Dark Room Assistant, Offset Plate Maker, Assistant Plate Maker (offset), Offset Machine. Attendant, Assistant Inspector (Control), Electronic Duplicating Machine Operator/Resographer Operator, Silk Screen Operator, Assistant Silk Screen Operator and Labourer(Industrial Attendant), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' Non-Ministerial Industrial Posts in the Ministry of Urban Development, Government of India Presses and Branches, Directorate of Printing, namely:-

**1. Short title and commencement.**—These rules may be called the Ministry of Urban Development, Government of India Presses and Branches, Directorate of Printing, Group 'C' (Industrial) Posts Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification pay band and grade pay or pay scale.** – The number of said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.** .—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**5. Disqualification.**—No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;  
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons,

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other category of persons in accordance with the decisions/ orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

## SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Section Holder (Binding)	Ninety Six (96)* (2016) *(subject to variation dependent on work load)	General Central Service, 'C' Group (Supervisory) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1, (Rs.5200-20200)with Grade pay of Rs. 2800.	Non-selection post	Between 18 to 27 years.  (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) <b>Note 1 :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). <b>Note 2:-</b> In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<b>Essential:</b>  Three year Diploma in Printing Technology or equivalent from a recognised university or institution.  <b>Desirable:</b>  Two year's experience of working in a press or institution having legal entity including one year experience in Binding Section of the Press.  <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  <b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
No	Two years for Direct Recruits	Hundred percent by promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.	<b>Promotion :</b> Binder in Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs. 2400 having five years' regular service in the grade, failing which by Assistant Binder in Pay Band-1 (Rs.5200-20200) and Grade Pay of Rs.1900 with thirteen years regular service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. General Manager or Manager of Government of India	Not applicable	

		<p><u>Note 1:</u> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><u>Note 2:</u> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><u>Deputation :</u> Officers of the Central Government-</p> <p>(i) holding analogous posts in Pay Band-1 (Rs.5200-20200) plus Grade Pay Rs.2,800 on regular basis.</p> <p>(ii) with five years regular service in the grade in Pay Band-1 ( Rs. 5200-20200)and Grade Pay of Rs. 2,400.</p> <p><u>Note 1 :</u> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p><u>Note 2:</u> Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><u>Note 3:</u> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><u>Note 4:</u> For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission's Recommendations been</p>	<p>Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman 2. Senior most Deputy Manager/ Senior most Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge – Member 3. Senior most Assistant Manager (Administration) –Member</p> <p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:-</p> <p>1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman 2. Senior most Deputy Manager/Senior most Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge – Member 3. Senior most Assistant Manager (Administration) –Member</p> <p>Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	
--	--	--	---	--

			extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Binder	Four Hundred and Eighty One (481)* (2016)  *(subject to change as per work load.)	General Central Service, Group 'C' (Highly Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial  Note: The term Highly Skilled shall be determined in accordance with the notification of the Ministry of Finance No.1/1/2008-IC dated the 28 <sup>th</sup> July, 2009, where the cadre of Highly Skilled Workers stands equally split in the ratio of 50:50 and re-designated as Highly Skilled Worker Grade-II(Grade Pay of Rs.2400 in Pay Band-1) and Highly Skilled Worker Grade-I(Grade Pay of Rs.2800 in Pay Band-1).	Pay Band-1 Rs.5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2400	Non-Selection	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note 1 :The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<u>Essential:</u> Three years Diploma in Printing Technology (Offset) or equivalent from a recognised university or institution.  <u>Desirable:</u> One year experience of working in Binding section in press or institution having legal entity.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruits.	<p>(i) 75% by promotion failing which by deputation;</p> <p>(ii) 25% by direct recruitment failing which by promotion.</p> <p>(Preference will be given to the employees declared surplus in the similar grade and required to be redeployed/ redesignated)</p>	<p><u>Promotion:</u> Assistant Binder in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay Rs. 1900/- with eight years service in the grade.</p> <p><u>Note 1:</u> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><u>Note 2:</u> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><u>Deputation:</u> Officers of the Central Government-  holding the analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 2,400 on regular basis; or  with eight years regular service in the grade in Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs. 1900 <u>Note 1</u> : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.  <u>Note 2:</u> Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.  <u>Note 3:</u> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.  <u>Note 4:</u> For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager or Manager of Government of India Press or Government of India Text Books Presses —Chairman</li> <li>2. Seniorsmost Deputy Manager/Seniorsmost Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge —Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) —Member</li> </ol> <p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.General Manager or Manager of Government of India Press or Government of India Text Books Presses —Chairman</li> <li>2.Seniorsmost Deputy Manager/Seniorsmost Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge —Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) —Member</li> </ol> <p>Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable

			rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Assistant Binder	One Thousand and Eighty Five (1085) (2016)  *(subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'C'(Skilled), Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Pay Band-1 (Rs.5200- 20200) with Grade Pay of Rs.1900.	Non- selection post	Between 18 to 27 years.  (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<u>Essential.</u>  (i) Matriculation (10 <sup>th</sup> class) Pass or equivalent from any recognised Board; and (ii) Certificate of successful completion of Apprenticeship under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) in the relevant trade; or (iii) Certificate of successful completion of vocational course at +2 level in Printing Technology in Binding trade.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	(i) 16% by promotion failing which by direct recruitment.  (ii) 5% by promotion from Grade 'C' Non-Industrial employees of the Press in Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs.1800 subject to qualifying the trade test.  (iii) 79% by direct recruitment failing which by promotion.	<u>Promotion:</u> Labourer(Industrial Attendant) in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs.1800 with three year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis working in Binding Section subject to qualifying in the trade test.  <u>Note 1:</u> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  <u>Note 2:</u> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6 <sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:-  1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman  2. Senior most Deputy Manager/ Senior-most Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge – Member  3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member  Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:-  1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman  2. Senior most Deputy Manager/ Seniormost Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge – Member  3. Senior most Assistant Manager (Administration) –Member  Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Reader	One Hundred and Seventy Six (176)* (2016)  *(subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'C' (Highly Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.  Note: The term Highly Skilled shall be determined in accordance with the notification of the Ministry of Finance No.1/1/2008-IC	Pay Band-1 (Rs.5200-20200), with Grade Pay of Rs. 2400.	Non-selection post	Between 18 to 27 years.  (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in	<u>Essential.</u> (i) Degree from a recognized University or equivalent; (ii) Knowledge of Proof Reading in a Press having legal entity; (iii) Proficiency in English and Hindi language and one Regional Language which is used in the Press, and (iv) having experience of two years working in reading section of an Offset Press having legal entity.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates



		dated the 28 <sup>th</sup> July, 2009, wherein the cadre of Highly Skilled Workers stands equally split in the ratio of 50:50 and re-designated as Highly Skilled Worker Grade-II(Grade Pay of Rs.2400 in Pay Band-1) and Highly Skilled Worker Grade-I(Grade Pay of Rs.2800 in Pay Band-1).		Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep. Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	--	--	--	---	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No	Two years for direct recruits	(i) 67% by direct recruitment failing which by promotion;  (ii) 17% by promotion failing which by deputation, failing both by Direct Recruitment.  (iii) 16% by promotion through Departmental Competitive Readership Examination conducted by the Directorate of Printing.	<u>Promotion:</u> (i) Copy Holder in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 1900 with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis subject to qualifying in the trade test; (ii) Copy holder having four years regular service in the grade, shall be eligible for the Departmental Competitive Readership Examination.  <u>Note 1:</u> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  <u>Note 2:</u> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6 <sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.  <u>Deputation :</u> Officers of the Central Government holding the post of Reader in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 2400/- on regular basis.  <u>Note 1 :</u> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.	<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:-</b>  1. General Manager/ Manager of Government of India Press/ Govt. of India Text Books Presses— Chairman  2. Senior most Deputy Manager/Assistant Manager(Technical)/Officer-in-Charge—Member  3. Senior most Assistant Manager (Administration)— Member.  <b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:-</b>  1. General Manager/ Manager of Government of India Press/ Govt. of India Text Books Presses —Chairman 2. Senior most Deputy Manager/Assistant Manager(Technical)/Officer-in-Charge—Member 3. Senior most Assistant Manager (Administration)— Member.  Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be	Not applicable

			<p><u>Note 2:</u> Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><u>Note 3:</u> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><u>Note 4:</u> For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.
--	--	--	---	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Copy Holder	One hundred and Seventy Six (176)* (2016)  *(subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'C' (Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	PayBand-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs.1900.	Non selection post	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) NOTE 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<u>Essential.</u> (1) Degree from a recognized University or Equivalent;  (2) proficiency in English and Hindi Language and one Regional Language which is used in the Press;  (3) one year experience as Proof Reader in a Press having legal entity.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruits	100% by direct recruitment	Not applicable.	<p>Group 'C' Confirmation Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman.</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge – Member.</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member</li> </ol> <p>Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.Head Mechanic (Printing and Binding)	Thirteen 13* (2016)  *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group C' (Supervisory), Non-gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band- 1 Rs.5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2800/-	Non-selection post	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<p><u>Essential:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Three years diploma in mechanical or electrical or electronics engineering from a recognised university or institution;</li> <li>(ii) three years experience in maintenance/repairing of printing and allied equipments in an institution or press having legal entity.</li> </ol> <p><u>Desirable:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Knowledge of electric or electronic components used in printing and bindery equipments;</li> </ol> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable .	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.	<p><u>Promotion:</u></p> <p>Mechanic (Printing and Binding) in Pay Band-1 (Rs.5200-20200/-) with Grade Pay of Rs.2400/- with five years regular service in the grade.</p> <p><u>Note 1:</u> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><u>Note 2:</u> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><u>Deputation:</u> Officers of the Central Government- (a) holding the post of Head Mechanic (Printing and Binding) in Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs.2400 on regular basis; or (b) Mechanic (Printing and Binding) in Pay Band -1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs. 2400/- with five years regular service in the grade.</p> <p><u>Note 1 :</u> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p><u>Note 2:</u> Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><u>Note 3:</u> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><u>Note 4:</u> For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – <i>Chairman.</i></li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge – <i>Member.</i></li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) – <i>Member</i></li> </ol> <p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager/ Manager of Government of India Press/ Govt. of India Text Books Presses—<i>Chairman</i></li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager (Technical)/Officer-in-Charge—<i>Member</i></li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration)—<i>Member.</i></li> </ol> <p>Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Mechanic (Printing and Binding.)	Sixty three (63)* (2016)  *(subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'C' (Highly Skilled), Non- Gazetted, Non- Ministerial.  Note: The term Highly Skilled shall be determined in accordance with the notification of the Ministry of Finance No.1/1/2008-IC dated the 28 <sup>th</sup> July, 2009, wherein the cadre of Highly Skilled Workers stands equally split in the ratio of 50:50 and re- designated as Highly Skilled Worker Grade- II(Grade Pay of Rs.2400 in Pay Band-1) and Highly Skilled Worker Grade- I(Grade Pay of Rs.2800 in Pay Band-1).	Pay Band-1 (Rs. 5,200- 20,200) with Grade Pay of Rs. 2400.	Non- selection post	Between 18 to 27 years.  (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) NOTE 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<u>Essential:</u> (i) Three years diploma in Mechanical or Electrical or Electronic Engineering from a recognized university or institution or equivalent; (ii) one year experience in maintenance or repairing of Printing and Allied equipments in an Institution or Press having legal entity.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not- Applicable	Two years for Direct recruitment.	(i) 33% by promotion failing which by direct recruitment failing both by deputation.  (ii) 67% by Direct Recruitment failing which by Promotion	<u>Promotion :</u> Assistant Mechanic (Printing and Binding) in Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) with Grade Pay of Rs. 1900 with eight years service in that grade subject to qualifying in Trade Test. <u>Note 1:</u> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. <u>Note 2:</u> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:-  1.General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman  2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager(Technical) or Officer-in-Charge – Member  3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member  Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:-  1.General Manager or Manager of Government	Not applicable

			<p>structure based on the 6<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><u>Deputation:</u> Officers of the Central Government- (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 2400 on regular basis; or (ii) with eight years regular service in the grade in Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs. 1900 and subject to qualifying in the trade test.</p> <p><u>Note 1 :</u> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p><u>Note 2:</u> Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><u>Note 3:</u> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><u>Note 4:</u> For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman</p> <p>2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager(Technical) or Officer-in-Charge – Member</p> <p>3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member</p> <p>Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Assistant Mechanic (Printing and Binding)	Sixty three (63)* (2016)  *(subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'C' (Skilled), Non- Gazetted, Non- Ministerial.	PayBand- 1 (Rs.5200- 20200) with Grade Pay of Rs.1900	Non- selection post	Between 18 to 27 years.  (Upper age limit is relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the	Essential: National Trade Certificate in Mechanic from an Industrial Training Institute with one year experience in the trade of Offset printing in a press having legal entity. Desirable: One years' experience in maintenance or repairing of Printing and Allied equipments in an Institute or Press of having legal entity.

					<p>closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>	<p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	---	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruits	Hundred percent by direct recruitment failing which by promotion	<p><u>Promotion:</u> Labourer (industrial attendants) in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 1800 (Group 'C') having three years regular experience in maintenance of Printing machines holding an Industrial Training Institute Certificate in Mechanical and working in Government of India Press after completion of six month training subject to qualifying in the trade test.</p> <p><u>Note 1:</u> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><u>Note 2:</u> For the purpose of computing</p>	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman.</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge – Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member</li> </ol> <p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge – Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member</li> </ol> <p>Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable

			<p>minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Electrician	<p>Twenty Five (25)* (2016)</p> <p>*(subject to variation dependent on work load.)</p>	<p>General Central Service, Group 'C' (Highly Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.</p> <p>Note: The term Highly Skilled shall be determined in accordance with the notification of the Ministry of Finance No.1/1/2008-IC dated the 28<sup>th</sup> July, 2009, wherein the cadre of Highly Skilled Workers stands equally split in the ratio of 50:50 and re-designated as Highly Skilled Worker Grade-II(Grade Pay of Rs.2400 in Pay Band-1) and Highly Skilled Worker Grade-I(Grade Pay of Rs.2800 in Pay Band-1).</p>	<p>Pay Band-1 Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs.2400</p>	<p>Non-selection post</p>	<p>Between 18 to 27 years.</p> <p>(Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)</p> <p>Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>	<p><u>Essential:</u></p> <p>Three years diploma in Electrical or Electronics from a recognized institution or university or equivalent having one year experience; or</p> <p>(ii) Industrial Training Institute Certificate Course or Electrical Certificate of competency having five years experience of running or maintenance of different types of both high tension and low tension electrical installations including underground cable system.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fillup the vacancy reserved for them.</p>



(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct Recruits. Not applicable to promotees.	(1) 33% by promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.  (2) 67% by direct recruitment failing which by promotion	<p><u>Promotion:</u> Wireman in Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs.1900 with eight years regular service in the grade subject to qualifying in the trade test.</p> <p><u>Note 1:</u> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><u>Note 2:</u> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><u>Deputation:</u> Officers of the Central Government- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with eight years regular service in the grade of Wireman in the Pay Band -I (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs.1900</p> <p><u>Note 1 :</u> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p><u>Note 2:</u> Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><u>Note 3:</u> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><u>Note 4:</u> For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman.</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge – Member.</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member</li> </ol> <p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager(Technical) or Officer-in-Charge – Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member</li> </ol> <p>Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. Wireman	Twenty Five (25)* (2016)  *(subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'C' (Skilled), Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) with Grade Pay of Rs.1900	Non- Selection post	Between 18 to 27 years.  (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<u>Essential:</u> (i) Matriculation (10th Class) pass from recognised Board or equivalent; and certificate of Industrial Training Institute in electrical trade with two years experience in the relevant field; or (ii) Three years diploma in Electrical or Electronic from a recognised institution or University with one year experience in the relevant field.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Schedule Caste or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill-up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No	Two years	Hundred percent by direct recruitment	Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:- 1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – <i>Chairman</i> . 2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge – <i>Member</i> . 3. Senior most Assistant Manager (Administration) – <i>Member</i> Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. Welder	Eleven(11)* (2016)  *(subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'C'(Skilled), Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Pay Band-1 (Rs.5,200- 20,200) with Grade Pay of Rs.1900.	Not- applicable.	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in	<u>Essential:</u> (i) Matriculation (10th Class) pass from recognised Board or equivalent; (ii) Industrial Training Institute Certificate in welder trade from recognised Industrial Training Institute; (iii)should have at least three years experience as welder in an industry or work shop established in accordance

					Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	with law. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Schedule Caste or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	--	--	--	--	---	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two Years for direct recruits.	Hundred percent by direct recruitment	Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting for:-  1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman.  2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge – Member  3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member  Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. Carpenter	Eleven(11)* (2016)  *(subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'C'(Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs.1900.	Not-applicable.	Between 18 to 27 years.  (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed	<u>Essential:</u> (i) Matriculation (10th Class) pass from recognised Board or equivalent;  (ii) Industrial Training Institute Certificate from recognised Industrial Training Institute in carpentering;  (iii) should have at least three years experience as carpenter in any industry or shop established in accordance with law.

				<p>for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>	<p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Schedule Caste or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two Years for direct recruitment.	Hundred percent by direct recruitment	Not applicable	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman.</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge – Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member.</li> </ol> <p>Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. Driver (Heavy Vehicle)	Six(06)* (2016)  *(subject to variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'C'(Skilled) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs.1900.	Non-selection	<p>Between 18 to 27 years.</p> <p>(Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)</p> <p>NOTE 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from</p>	<p><u>Essential:</u> (i) 12<sup>th</sup> Class Pass from any recognized Board or University; (ii) experience of driving heavy vehicle for five years; (iii) should possess requisite valid driving license for Heavy Motor Vehicles.</p> <p><u>Desirable:</u> (i) Knowledge of Auto Mobile repairing.</p> <p>Note 1: Qualifications are</p>

					<p>candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>	<p>relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Schedule Caste or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two Years for direct recruits	<p>(i) 83% by direct recruitment failing which by promotion;</p> <p>(ii) 17% by promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.</p>	<p><u>Promotion:</u> Driver (Light Vehicle) in Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs.1900 with three years regular service subject to passing trade test and possessing driving licence for heavy vehicle.</p> <p><u>Note 1:</u> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><u>Note 2:</u> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><u>Deputation:</u> Officers of the central government:- (i) holding the post of Driver(Heavy Vehicle) in Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs.1900 with regular service; or (ii) Driver(Light Vehicle) in Pay Band -1 (Rs.5200-20200) and Grade Pay of Rs.1900 with three years regular service subject to passing trade test and possessing licence for heavy vehicle.</p> <p><u>Note 1 :</u> The departmental officers in the feeder</p>	<p>Group 'C' Recruitment Confirmation Committee consisting of;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman.</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge – Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member.</li> </ol> <p>Group 'C' Departmental Promotion/Selection Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager(Technical) or Officer-in-Charge – Member</li> <li>3. Senior most Assistant</li> </ol>	Not applicable

			<p>category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p><u>Note 2:</u> Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><u>Note 3:</u> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><u>Note 4:</u> For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>Manager (Administration) – Member</p> <p>Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>
--	--	--	---	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. Driver (Light Vehicle)	Fifteen (15)* (2016)  *(subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'C'(Skilled), Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Pay Band-1 (Rs.5200- 20200) with Grade Pay of Rs. 1900	Non selection post	Between 18 to 27 years.  (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) NOTE 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<u>Essential:</u> (i) 12 <sup>th</sup> Class Pass or equivalent, from any recognized Board or University; (ii) experience of driving motor vehicle for five years; (iii) should possess requisite valid driving license for Light Motor Vehicles.  <u>Desirable:</u> (i) Knowledge of Auto Mobile repairing. (ii) knowledge of traffic rules.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Schedule Caste or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these

						communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	--	--	--	--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two Years for direct recruitment	(i) 75% by direct recruitment failing which by promotion;  (ii) 25% by Promotion failing which by direct recruitment failing both by deputation	<u>Promotion:</u> Cleaner Driver in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 1800 with three years regular service in the grade subject to passing a trade test and possessing valid Driving License for Light or Heavy Motor Vehicle. <u>Note 1:</u> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. <u>Note 2:</u> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6 <sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. <u>Deputation:</u> Officers of the Central government-Holding the analogous post in Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs.1900 on regular basis subject to passing trade test and possessing licence for light or heavy Motor vehicle. <u>Note 1 :</u> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. <u>Note 2:</u> Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	<b>Group 'C' Recruitment Confirmation Committee consisting of:-</b>  1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman.  2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager(Technical) or Officer-in-Charge – Member  3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member.  <b>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:-</b>  1.General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman  2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager(Technical) or Officer-in-Charge – Member  3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member  Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.	Not applicable

			<p><u>Note 3:</u> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><u>Note 4:</u> For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15. Dark Room Assistant	Thirty One (31)* (2016) *(subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'C' (Highly Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.  Note: The term Highly Skilled shall be determined in accordance with the notification of the Ministry of Finance No.1/1/2008-IC dated the 28 <sup>th</sup> July, 2009, wherein the cadre of Highly Skilled Workers stands equally split in the ratio of 50:50 and re-designated as Highly Skilled Worker Grade-II (Grade Pay of Rs.2400 in Pay Band-1) and Highly Skilled Worker Grade-I(Grade Pay of Rs. 2800 in Pay Band-1).	Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs. 2400	Not applicable.	Between 18 to 27 years.  (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	<u>Essential.</u> (i)Three years diploma in Printing Technology or equivalent from a recognized institution and one years' experience in operation of Process Camera; or (ii)pass in 12 <sup>th</sup> class or equivalent from recognised Board or equivalent and certificate of successful completion of apprenticeship in Process Camera under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) with three years of practical experience in operation of Process Camera. Note: Preference will be given to candidates who have passed 12 <sup>th</sup> Class with Chemistry. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Schedule Caste or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent



					Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill-up the vacancy reserved for them.
--	--	--	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruits.	Hundred percent by direct recruitment	Not applicable	Group 'C' Recruitment Confirmation Committee consisting of:-  1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman.  2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager(Technical) or Officer-in-Charge – Member.  3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member  Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16. Plate Maker (Off -set)	Sixty nine(69)* (2016)  *(subject to variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'C' (Highly Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial  Note: The term Highly Skilled shall be determined in accordance with the notification of the Ministry of Finance No.1/1/2008-IC dated the 28 <sup>th</sup> July, 2009, wherein the cadre of Highly Skilled Workers stands equally split in the ratio of 50:50 and re-designated as Highly Skilled Worker Grade-II (Grade Pay of Rs.2400 in Pay Band-1) and Highly Skilled	Pay Band-1 (Rs.5200-20200 ) with Grade Pay of Rs.2400	Non-selection post	Between 18 to 27 years.  (Upper age limit relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu	<u>Essential.</u> (i) Three years diploma in Printing Technology with two years experience or Industrial Training Institute Certificate in Plate Maker (Offset) or equivalent with five years experience in the trade; or (ii) 12 <sup>th</sup> Class pass or equivalent from recognized Board or equivalent, and (iii) certificate of successful completion of apprenticeship in Plate Making under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) with three years of practical experience in Plate Making in a press of repute.  Note : Preference will be given to candidates who have passed 12 <sup>th</sup> class with Chemistry as one of the subject  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/ Competent Authority in the case of candidates otherwise well

		Worker Grade-I (Grade Pay of Rs.2800 in Pay Band-1).			and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Schedule Caste or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	--	--	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruits.	(i) 15% by promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment;  (ii) 85% by direct recruitment failing which by promotion.	<u>Promotion:</u> Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs.1900 with thirteen years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis subject to qualifying the Trade Test. <u>Note 1:</u> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. <u>Note 2:</u> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6 <sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. <u>Deputation:</u> Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii) Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying trade test. <u>Note 1 :</u> The departmental officers in the	<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:-</b>  1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman.  2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager(Technical) or Officer-in-Charge – Member.  Senior most Assistant Manager (Administration) – Member  <b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:-</b>  1.General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman  2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager(Technical) or Officer-in-Charge – Member  3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member  Note: If any of the aforesaid officials of the	Not applicable

			<p>feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p><u>Note 2:</u> Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><u>Note 3:</u> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><u>Note 4:</u> For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	
--	--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(17) Assistant Plate Maker	Thirty Two (32)* (2016) *(subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'C'(Skilled), Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) with Grade Pay of Rs.1900	Not applicable	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	<u>Essential:-</u> (i) Matriculation (10th class) or equivalent from recognized Board; and  (ii) Certificate of successful completion of apprenticeship in Plate Making under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) with three years practical experience in Plate Making; or (iii) certificate from Industrial Training Institute in Plate making trade and five years experience in preparation of different kind of plate in the Plate making section. <u>Desirable:-</u> Diploma in Printing Technology (Offset).  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

					Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Schedule Caste or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	--	--	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruits	(i) 16% by direct recruitment failing which by promotion;  (ii) 84% by promotion failing which by direct recruitment failing both by deputation	<p><u>Promotion:</u> Attendant (Offset) in Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs. 1900 and three years of practical experience in Plate Making subject to qualifying the trade test.</p> <p><u>Note 1:</u> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><u>Note 2:</u> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><u>Deputation:</u> Officers of the Central Government -</p> <p>(i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs. 1900; or (ii) attendant (Offset) in Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs.1900 with three years of practical experience in Plate Making subject to qualifying the trade test.</p> <p><u>Note 1</u> : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman.</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge – Member.</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) –Member</li> </ol> <p><b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager(Technical) or Officer-in-Charge – Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member</li> </ol> <p>Note: If any of the aforesaid officials of</p>	Not applicable

			<p>appointment by promotion.</p> <p><u>Note 2:</u> Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><u>Note 3:</u> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><u>Note 4:</u> For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>			<p>the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
18. Machine Attendant (Offset)	<p>Three hundred and sixty eight (368)* (2016)</p> <p>*(subject to variation dependent on work load.)</p>	<p>General Central Service, Group 'C' (Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial</p> <p>Note: The term Highly Skilled shall be determined in accordance with the notification of the Ministry of Finance No.1/1/2008-IC dated the 28<sup>th</sup> July, 2009, wherein the cadre of Highly Skilled Workers stands equally split in the ratio of 50:50 and re-designated as Highly Skilled Worker Grade-II (Grade Pay of Rs.2400 in Pay Band-1) and Highly Skilled Worker Grade-I (Grade Pay of Rs.2800 in Pay Band-1).</p>	<p>Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 1900</p>	<p>Not applicable.</p>	<p>Between 18 to 27 years.</p> <p>(Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)</p> <p>NOTE 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and</p>	<p><u>Essential:</u></p> <p>(i) Matriculation from recognized Board or equivalent;</p> <p>(ii) certificate of successful completion of apprenticeship in Offset Machine under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) ;</p> <p>(iii) one year experience in operation of Offset Machine doing single and multi colour printing work.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from</p>	

					<p>Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>	<p>these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	<p>(i) 46% by promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment</p> <p>(ii) 54% by direct recruitment failing which by promotion.</p>	<p><u>Promotion:</u> Labourer(Industrial Attendant) in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs.1800 with three year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis subject to qualifying in the trade test.</p> <p><u>Note 1:</u> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><u>Note 2:</u> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><u>Deputation:</u> Officers of the Central Government -</p> <p>(i)holding the analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs.1900 on regular service; or (ii) with three years regular service in the grade in Pay Band-1 with Grade Pay of Rs.1800 subject to qualifying trade test.</p> <p><u>Note 1</u> : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman.</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge – Member.</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) —Member .</li> </ol> <p><b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager(Technical) or Officer-in-Charge – Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member</li> </ol> <p>Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and</p>	Not applicable

			<p>consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p><u>Note 2:</u> Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><u>Note 3:</u> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><u>Note 4:</u> For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	nearest Press is to be decided in terms of the distance.	
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19. Assistant Inspector (Control)	Eight (08)* (2016)  (subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'C' Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Pay Band-1 (Rs.5200- 20200) with Grade Pay of Rs. 2800	Not-applicable.	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not- Applicable.	Not applicable	100% by deputation.	<p><u>Deputation:</u> Officers of the Central Government-</p> <p>(i) holding analogous post in Pay Band-1 ( Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs.2800; or (ii) holding a post in the Press as Section Holder, Reader, Offset Machine Assistant and Offset Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 2400/-with five years regular service in the grade.</p> <p><u>Note 1 :</u> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be</p>	<p>Group 'C' Selection Committee consisting of:-</p> <p>1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses - Chairman. 2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge - Member. 3. Senior most Assistant Manager</p>	Not applicable

			<p>eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p><u>Note 2:</u> Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><u>Note 3:</u> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><u>Note 4:</u> For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>(Administration) – Member</p> <p>Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	
--	--	--	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20. Risograph Operator	Thirty six (36)*  (2016)  *(subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'C' (Highly Skilled), Non- Gazetted, Non- Ministerial.  Note: The term Highly Skilled shall be determined in accordance with the notification of the Ministry of Finance No.1/1/2008-IC dated the 28th July, 2009, where the cadre of Highly Skilled Workers stands equally split in the ratio of 50:50 and re- designated as Highly Skilled Worker Grade-	Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) with Grade Pay of Rs.2400	Non- selection post	Between 18 to 27 years.  (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti	<u>Essential:</u> (i) 12 <sup>th</sup> Pass from recognized Board;  (ii) Industrial Training Institute Certificate in Litho offset machine minder with three years experience in litho offset machine operation;  (iii) Apprenticeship in Litho offset machine minder with two years experience of operating Risograph/single colour/multi colour offset machine.  <u>Desirable:</u> (i) Three years diploma in Printing Technology from a Government institution.  (ii) three years experience in operation of single colour or multi colour work on offset machine.



		II(Grade Pay of Rs.2400 in Pay Band-1) and Highly Skilled Worker Grade-I(Grade Pay of Rs.2800 in Pay Band-1).			District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Schedule Caste or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	--	---	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruits.	100% by promotion failing which by direct recruitment failing both by direct deputation.	<p><u>Promotion:</u> Machine Attendant (Offset) in Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs.1900 with eight years regular service in the grade subject to qualifying in the trade test.</p> <p><u>Note 1:</u> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><u>Note 2:</u> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><u>Deputation:</u> Officers of the Central Government- (i) holding analogous post Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs.2400 ; or (ii) Machine Attendant(Offset) in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs.1900 with eight years regular service in the grade subject to qualifying in the trade test.</p> <p><u>Note 1</u> : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman.</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge – Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member</li> </ol> <p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager(Technical) or Officer-in-Charge – Member</li> </ol>	Not applicable

			<p>not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p><u>Note 2:</u> Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><u>Note 3:</u> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><u>Note 4:</u> For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member</p> <p>Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>
--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21. Silk Screen Operator	Eight (08)* (2016)  *(subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'C' (Highly Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.  Note: The term Highly Skilled shall be determined in accordance with the notification of the Ministry of Finance No.1/1/2008-IC dated the 28th July, 2009, where the cadre of Highly Skilled Workers stands equally split in the ratio of 50:50 and re-designated as Highly Skilled Worker Grade-II(Grade Pay of Rs.2400 in Pay Band-1) and Highly Skilled Worker Grade-I(Grade Pay of Rs.2800 in Pay Band-1).	Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 2400	Not applicable.	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<u>Essential.</u> (i) 12 <sup>th</sup> pass or equivalent from a recognized Board or equivalent and having five years experience in Silk Screen Printing Process doing single and multi colour Silk Screen printing work; or (ii) a certificate of successful completion of apprenticeship under Apprenticeship Act 1961 (52 of 1961) and two years experience in the screen printing work. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	(i) 62% by direct recruitment failing which by promotion;  (ii) 38% by promotion failing which by direct recruitment failing both by deputation.	<p><u>Promotion:</u> Assistant Screen Operator in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs.1900 with eight years regular service in the grade subject to qualifying in the trade test.</p> <p><u>Note 1:</u> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><u>Note 2:</u> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><u>Deputation:</u> Officers of the Central Government-</p> <p>(i) holding analogous post in Pay Band-I (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs.2400 on regular basis; or</p> <p>(ii) Assistant Screen Operator in Pay Band-I (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs.1900 with eight years regular service in the grade subject to qualifying in the trade test.</p> <p><u>Note 1 :</u> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p><u>Note 2:</u> Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><u>Note 3:</u> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><u>Note 4:</u> For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except</p>	<p>Group 'C' Recruitment Confirmation Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman.</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge – Member.</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member</li> </ol> <p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge – Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member</li> </ol> <p>Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable

			where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22. Assistant Screen Operator	Eight (08)* (2016)  *(subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'C' (Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 1900	Not applicable.	Between 18 to 27 years.  (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<u>Essential.</u>  (i) 10 <sup>th</sup> class pass or equivalent from a recognized Board or equivalent; and  (ii) having three years experience in operation of Silk Screen Printing Process doing single and multi colour Silk Screen printing work; or  (iii) a certificate of successful completion of apprenticeship under the Apprentices Act, 1961(52 of 1961) and one year experience of silk screen printing. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	Hundred percent (100%) by direct recruitment	Not applicable	Group 'C' Recruitment Confirmation Committee consisting of:  1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman.  2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge – Member.  3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same	Not applicable

				designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.	
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23. Labourer (Industrial Attendant)	Five Hundred and twelve (512)* (2016) *(subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group "C" (Un- Skilled) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs.1800	Not applicable.	Between 18 to 27 years.  (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Essential.  (i) 10 <sup>th</sup> pass or equivalent from recognized Board;  (ii) having two years experience in working in a printing Press having legal entity and familiar with operation of Heavy Loading and unloading and other press related work.  <u>Desirable:</u> (i) A Certificate of successful completion of Apprenticeship under the Apprentice Act, 1961 (52 of 1961); or (ii) National Trade Certificate from Industrial Training Institute preferably in mechanic trade  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	100% by direct recruitment.	Not applicable	<p>Group 'C' Recruitment Confirmation Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager or Manager of Government of India Press/Government of India Text Books Presses – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager(Technical) or Officer-in-Charge – Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member</li> </ol> <p>Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p> <p>Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable.

[F.No.22/5/2011-A.I]

KAILASH CHOUDHARY, Under Secy. (PSP-I)